

की
संख्या
एवं तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उप-समाहर्ता, पाकुड़।

लगान धार्य वाद सं०-14/2022-23

-: आदेश :-

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, महेशपुर के पत्रांक-239/रा०, दिनांक-02.03.2023 द्वारा आवेदक मानु माल, पति-धीरेन माल, सा०-कानीझाड़ा, थाना-महेशपुर का अंचल महेशपुर के अन्तर्गत मौजा-काठशाला थाना नं०-289, जमाबंदी सं०-97/21, दाग नं०-48 में रकवा-00बी०-03क०-00धूर किस्म वास्तु सह आंगन भूमि का लगान धार्य हेतु आवेदन, प्रपत्र "एम०" में चार प्रति में प्रतिवेदन एवं भूमि दस्तावेज की छायाप्रति के साथ लगान धार्य अभिलेख सं०-01/22-23 प्राप्त है। प्रपत्र एम० एवं अभिलेख में दर्ज प्रतिवेदन के अनुसार मौजा-काठशाला के खाता सं०-97/21 दाग नं०-48 रकवा-00बी०-03क०-00धूर किस्म वास्तु सह आंगन खतियान में सुदाम मालिनी, पति-स्व० गगन माल के नाम से दर्ज है। आवेदिका खतियानी रैयती की पोती है एवं आवेदित दाग पर आवेदिका का दखल स्वरूप मकान बना हुआ है। आवेदित दाग का खतियान में प्रजा श्रेणी चन्दा बाड़ी है, जिसका लगान धार्य नहीं है। अतः राजस्व वृद्धि को दृष्टिपथ में रखते हुए आवेदित भूमि का वार्षिक लगान प्रतिवर्ष 10.00 (दस) रुपये प्रति बीघा अलावे सेस की दर से आवेदिका का कुल रकवा-00बी०-03क०-00धूर भूमि के लिए सलाना 7.00 (सात) रुपये के अलावे सेस की दर से लगान धार्य की अनुशंसा की गई है।

इस कार्यालय द्वारा 16 आना रैयत मौजा-काठशाला, जमाबंदी नं०-97/21 को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। 16 आना रैयत से नोटिस प्राप्ति के बाद किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः अंचल अधिकारी, महेशपुर की अनुशंसा के आधार पर राजस्व आय में वृद्धि के उद्देश्य से आवेदित दाग नं०-48 में आवेदिका मानु माल, पति

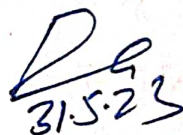
29

धीरेन माल, सा0-काठशाला, पो0-धर्मखाँपाड़ा, थाना-महेशपुर के नाम से मौजा-काठशाला थाना नं0-289 के दाग नं0-48, जमाबंदी नं0-97/21 में कुल रकवा-00बी0-03क0-00धूर भूमि का लगान धार्य 10.00 (दस) रुपये वार्षिक अलावे सेस के दर से करने की स्वीकृति दी जाती है। लगान जमीनदारी उन्मूलन की तिथि से वसूलनीय होगा। प्रपत्र एम0 में हस्ताक्षर कर दिया गया है। प्रपत्र एम0 एवं आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, महेशपुर को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजे।

अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित,


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पाकुड़।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पाकुड़।